उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग–2
संख्या–[illegible]/II–2015/01 (50)/2011
देहरादूनः दिनांक [illegible] नवम्बर, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 09 संख्या 2013) की धारा 17 (1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित पांच मेगावाट एवं उससे न्यून क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं को छोडते हुये शेष जल विद्युत परियोजनाओं पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नवत् जलकर निर्धारित कर अधिरोपित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

	विद्युत उत्पादन हेतु उपलब्ध शीर्ष (हेड)	निर्धारित जलकर
1.	30.00 मीटर तक	02 पैसे प्रति घन मीटर
2.	31.00 से 60.00 मीटर तक	05 पैसे प्रति घन मीटर
3.	61.00 से 90.00 मीटर तक	07 पैसे प्रति घन मीटर
4.	90.00 मीटर से अधिक	10 पैसे प्रति घन मीटर

2– उक्तवत् जलकर लागू होने की तारीख से आगामी तीन वर्षो तक प्रभावी रहेगा

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

पृ0संख्या–[illegible]/II–2015/01 (50)/2011 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमांऊ, पौडी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण खण्ड के भाग–4 में प्रकाशित करते हुये 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।

C:\panwar\Ganral/Ganral U.O/41

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग–02
संख्या:– 943 / ।।(2)–2019–01(50) / 2011
देहरादून : दिनांक 21 अगस्त, 2019

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–2883 / ।।(2)–2015–01(50) / 2011 दिनांक 07 नवम्बर, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित 5 मेगावाट एवं उससे न्यून जल विद्युत परियोजनाओं के छोड़ते हुए शेष जल विद्युत परियोजनाओं पर उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आगामी तीन वर्षो तक के लिए निम्नवत् जलकर निर्धारित कर अधिरोपित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:–

क्र.सं.	विद्युत उत्पादन हेतु उपलब्ध शीर्ष (हेड)	निर्धारित जलकर
1.	30.00 मीटर तक	02 पैसे प्रति घन मीटर
2.	31.00 से 60.00 मीटर तक	05 पैसे प्रति घन मीटर
3.	61.00 से 90.00 मीटर तक	07 पैसे प्रति घन मीटर
4.	90.00 मीटर से अधिक	10 पैसे प्रति घन मीटर

2– उक्त संदर्भित अधिसूचना दिनांक 07 नवम्बर, 2015 द्वारा निर्धारित जलकर की दरें दिनांक 07 नवम्बर, 2018 से आगामी तीन वर्षो तक प्रभावी रखे जाने की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(डा. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या:–943 / ।।(2)–2019–01(50) / 2011तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा. सिंचाई मंत्री को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ, पैड़ी / नैनीताल।

6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण खण्ड के भाग–4, में प्रकाशित करते हुए 200 प्रतिया शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणजीत सिंह)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2
संख्या–1711/II(2)/2021–01(50)/2011
देहरादूनः दिनांक 02 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2021

उत्तराखण्ड जल संसाध
और नियामक आयोग,
फाईल मार्क ....
डायरी नं. ...310
दिनांक 04/12/2

अधिसूचना

उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं संख्या 2013) की धारा–17(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या– II(2)–2015–01(50)/2011, दिनांक 07.11.2015 एवं अधिसूचना संख्या–943/II(2)– 01(50)/2011, दिनांक 21.08.2019 द्वारा निर्धारित जलकर की दरों को दिनांक 07.11.20 अग्रिम आदेशों तक यथावत् प्रभावी रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान हैं।

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

संख्या–1711 (1)/II(2)/2021–01(50)/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री, को मा0 सिंचाई मंत्री जी के संज्ञानार्थ
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी।
7. प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अ को असाधारण खण्ड के भाग–4 में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियां शासन को कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फ़ाईल

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव

REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA